बिहार सरकार,
<u>श्रम संसाधन विभाग</u>
<u>–:: संकल्प ::–</u>

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, धोरैया, बांका सम्प्रति सेवानिवृत श्रम अधीक्षक के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बांका ने अपने पत्रांक–483 दिनांक–19.04.2015 द्वारा प्रपत्र 'क' में यह आरोप गठित किया कि श्री मेहता द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 में धान अधिप्राप्ति में 64418.40 क्वि० धान का खरीद किया गया था, जिसके विरूद्ध राज्य खाद्य निगम द्वारा निर्गत SIO के अनुसार 65208.80 क्वि० धान मिलरों को हस्तगत कराया गया एवं 1209.70 क्वि० धान का गबन कर लिया गया जिसकी तात्कालिक कीमत ₹ 23,02,026/– (तैईस लाख दो हजार छब्बीस) अनुमानित की गई। श्री मेहता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों पर उनसे स्पष्टीकरण पर मांग की गई। श्री मेहता ने अपने स्पष्टीकरण में स्वयं को निर्दोष बताते हुये आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया। श्री मेहता के स्पष्टीकरण से असहमत होते हुये जिला पदाधिकारी, बांका से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में प्रशासनिक प्राधिकार के स्तर पर प्रपत्र 'क' गठित करते हुये आदेश ज्ञापांक–2422 दिनांक–11.08.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री मेहता के दिनांक–30.06.2016 को सेवा निवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को आदेश ज्ञापांक–426 दिनांक–06.12.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत परिवर्तित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–उप श्रमायुक्त, भागलपुर के पत्रांक–153 दिनांक– 02.02.2016 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अपने जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने यह मंतव्य दिया है कि "परिस्थितिजन्य में श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, धोरैया, बांका पर आरोप प्रमाणित होते है।" संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पत्र संख्या–5328 दिनांक–23.12.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये श्री मेहता से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री मेहता का द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर उनके पत्र दिनांक–27.01.2017 द्वारा प्राप्त हुआ। श्री मेहता के द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त उन्हें 1209.70 क्वि० धान के लिए ₹ 23,02,026/– (तैईस लाख दो हजार छब्बीस) की क्षति का जिम्मेदार मानते हुये बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1394 दिनांक–18.06.2019 द्वारा उनके विरूद्ध 05 (पाँच) वर्षो तक उनके पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन की कटौती किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

3. तदोपरान्त दिनांक–02.07.2019 को विभाग को प्राप्त पत्र में आरोपित पदाधिकारी की पुत्री श्रीमती रेणु मेहता द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता के मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये यह सूचना दी गई की दिनांक–25.05.2019 को उनके पिता का निधन हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–8811 दिनांक–18.07.2017 की कंडिका 4 में यह प्रावधान किया गया है कि "विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में, विचारण के किसी भी चरण में, आरोपित सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा मृत्यु की सूचना का उल्लेख करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त कर दिया जायेगा"। उक्त पत्र के आलोक में स्व० सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, सेवानिवृत श्रम अधीक्षक के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1394 दिनांक–18.06.2019 द्वारा दिये गये दण्डादेश को वापस लिया जाता है।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

sankalp124

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति स्व० सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, सेवानिवृत श्रम अधीक्षक की पुत्री श्रीमती रेणु मेहता (वर्तमान पता–रेणु कॉम्प्लेक्स, भूतनाथ रोड़, पटना–26) को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(सूर्यकान्त मणि)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 6/श्रम वि० आ०(02)–15/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– ज्ञापांकः– 6/श्रम वि० आ०(02)–15/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– ज्ञापांकः– 6/श्रम वि० आ०(02)–15/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, बांका/कोषागार पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

निबंधित/स्पीड

ज्ञापांकः– 6/श्रम वि० आ०(02)–15/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– स्व० सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, सेवानिवृत श्रम अधीक्षक की पुत्री श्रीमती रेणु मेहता (वर्तमान पता–रेणु कॉम्प्लेक्स, भूतनाथ रोड़, पटना–26) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– ज्ञापांकः– 6/श्रम वि० आ०(02)–15/2017 श्र०सं०–2059 पटना, दिनांक–28/8/19

प्रतिलिपिः– श्रमायुक्त, बिहार, पटना/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/लोक सूचना पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 06 (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/8/19
सरकार के उप सचिव